>

Title: Situation arising due to acquisition of agricultural land by the State Governments.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। भारत के 80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं और किसान हैं। भारत सरकार किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मैं आपके द्वारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहुत से प्रदेशों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, कहीं राजमार्गों के लिए तो कहीं इंडस्ट्रीज के लिए तो कहीं टाउन बसाए जा रहे हैं। किसानों की जमीन बहुत ही कम कीमत पर अधिगृहीत की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बने। किसानों की जमीन लेकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ताज-हाइवे, गंगा-हाइवे और हरिद्वार हाइवे के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है और उसने जमीन का अधिग्रहण किया भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सरकार प्रयत्न कर रही है और दूसरी तरफ उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन, जो एग्रीकल्चर है उसे ही अधिगृहीत किया जा रहा है। पूरे देश में जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है और हमारी जमीन का एरिया कम होता जा रहा है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो एक दिन खाद्य-सामग्री की हमारे यहां बहुत कमी हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने यहां जमीनों के अधिग्रहण पर उचित मूल्य दिया है और 20 लाख से लेकर 30 लाख प्रति-एकड़ का मुआवजा और प्रत्येक परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी गयी है, आवास की सुविधा दी गयी है। भारत सरकार या तो राज्य सरकारों को इस प्रकार की सुविधा देने के लिए निर्देशित करे या स्वयं भारत सरकार अपने यहां इस प्रकार की व्यवस्था करे, या एक राष्ट्रीय नीति बनाए, जिससे किसानों का शोषण खत्म हो।

गाजियाबाद में हमारे एक साथी हैं गोयल जी, वहां पर भी एक ईस्टर्न-पेरिफेरल-एक्सप्रेस-वे बन रहा है जिसमें गांव रेवड़ा, बंठौली, मिलिक-चक्करपुर, मरयालपुर, सुल्तानपुर आदि गांवों की काफी जमीन जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद और अलीगढ़ के किसानों ने तय किया है कि यदि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे लोग होली नहीं मनाएंगे। अलीगढ़ की 181.1 हैक्टेयर जमीन की उचित कीमत सरकार नहीं दे पा रही है, जो हमारे गौतमबुद्ध जिले में मुआवजा तय किया गया है या तो वही मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों में असंतोष और आक्रोश न हो और नंदी-ग्राम जैसी स्थिति न बन जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यही कहना चाहता हूं कि या तो इस विषय में कोई एक राष्ट्रीय नीति बने या हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में तमाम अधिगृहीत जमीन का मुआवजा और सुविधा दी जाए।